## मुख्यालय पुलिस

## मा० उच्च न्यायालय प्रकरण/अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग लखनऊ।

परिपत्र संख्या- 🔏

दिनांकःलखनऊःदिसम्बर 9,2015

सेवा मे,

1-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

2-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

3-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

विषयः-रिट याचिका(सी) संख्या-5003/2015 जितेन्द्र बहादुर सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद उ०प्र० द्वारा पारित आदेश दिनॉक 4-9-2015 के अनुपालन के सम्बन्ध में ।

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, गृह, उ०प्र० शासन लखनऊ के आपको सम्बोधित एवं अधोहस्ताक्षरी तथा अन्य को पृष्ठोंकित पत्र संख्या-3525/छ-पु-3-2015-2(94)पी/2014 दिनॉक 16-11-2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रकरण में मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनॉक 4-9-2015 के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- मां उच्च न्यायालय के आदेश दिनॉक 4-9-2015 के प्रभावी अंश निम्नवत् हैं:-

"Heard learned counsel for the parties and perused the record. This Court has repeatedly held that the police and administrative authority must not interfere in inter se dispute between the two private parties in respect of immovable properties.

We have been informed that a Government Order has also been issued for the same purpose. It appears that the Sub-Divisional Magistrate, Mariahu, District Jaunpur has no respect to the orders of the Court or to the Government Order. He has issued the order for delivery of possession under the order impugned and thereafter he has issued another order for possession to be delivered and a report be submitted for compliance thereof.

We, therefore, direct that the Principal Secretary, Revenue to take disciplinary action against the officer concerned and to ensure that in future, no such order are issued. No leniency is to be shown.

A copy of this order may be forwarded to the respondent no.1 by the Standing Counsel, within a week from today and the action taken report be submitted before this Court positively by 18.9.2015.

Pet up on 18.9.2015."

2- प्रकरण में पूर्व में भी निर्देश निर्गत किये जाने के उपरॉत भी निर्देशों का पालन न किये जाने पर शासन ने अप्रसन्नता व्यक्त की है । अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माठ उच्च न्यायालय के आदेश दिनॉक 4-9-2015 का अक्षरशः अनुपालन कराते हुए यह सुनिश्चित किया जाय कि निजी पक्षकारों के मध्य अचल सम्पत्ति के ऐसे प्रकरणों जिनमें वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है अथवा जिनमें माठ न्यायालयों द्वारा अन्तरिम आदेश पारित किये गये हों, में प्रकीर्ण प्रार्थना पत्रों पर प्रशासनिक आदेश पारित न किये जाय । यदि भविष्य में ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा तथा इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

(जगमोहन यांदव) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।